

ग्रामपालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

शालिया

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

धारा अन्तर्गत - 136

प्रसं 327/25

दापर दिनांक 27.9.2025

निर्णय दिनांक 22.10.2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	शालिया	336	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंदा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायान अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम <u>शालिया</u> प.ह. <u>शालिया</u> खतासं <u>336</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद क्रिये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (भू.स.) कपासन

(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगाढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.स.) कपासन